(वाद संख्या–1694/17)

28.08.2019

सहायक निबंधक के टिप्पणी का अवलोकन किया।

सहायक निबंधक के टिप्पणी से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत संचिका से सम्बन्धित लिपिक द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है।

सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग से यह अनुरोध है कि सहायक निबंधक के उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में या स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी से जाँच करा कर 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन दें कि किन परिस्थितियों में संबंधित लिपिक द्वारा परिवादी से प्राप्त प्रत्युत्तर को संचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया जिससे कि बेन्च द्वारा इस संचिका को बंद कर देना पड़ा।

सहायक निबंधक के टिप्पणी के आलोक में प्रस्तुत मामले को पुनर्जीवित किया जाता है।

प्रस्तुत मामला पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के ग्राम–छोटी मोहली, थाना–जाले, जिला–दरभंगा से दक्षिण स्थित गुजरा पोखर पर एक फुस की झोपड़ी को उजाड़ने से संबंधित है।

परिवादी के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से प्राप्त परिवाद पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर दरभंगा के प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर प्रतिवेदन भेजा गया है जिसके अनुसार परिवादी का विवाह, ग्राम–जाले में हुआ था तथा छोटी मोहली उसका नैहर है। परिवादी शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है। ग्राम–छोटी मोहली के लोगों द्वारा बताया गया कि परिवादी के पिता मो0 सामिद द्वारा गांव से दक्षिण स्थित गुजरा पोखर पर सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से फुस की झोपड़ी बना ली गयी है, जिसमें वह ताड़ी बेचते है। हालांकि, परिवादी के पिता, मो0 सामिद, का गांव में एक पक्का मकान है। जब उक्त झोपड़ी पर परिवादी के पिता द्वारा पक्की संरचना का निर्माण किये जाने लगा तो साम्प्रदायिक तनाव खड़ा हो गया, क्योंकि उक्त पोखर में हिन्दू सम्प्रदाय के लोग महापर्व 'छठ' का अर्ध्य देते थे। बाद में गांव के मुखिया, सरपंच व अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों व गण–मान्य व्यक्तियों व स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों के उपस्थिति में परिवादी के पिता द्वारा उक्त स्थल से अपनी झोपड़ी हटा ली गयी जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित हो गया।

आयोग द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी । परिवादी द्वारा प्रमाण के साथ यह सूचित किया गया कि उसने दिनांक–05.02.2018 को निबंधित डाक से अपना प्रत्युत्तर आयोग को भेजा था, लेकिन संबंधित लिपिक के लापरवाही से उक्त प्रत्युत्तर, संचिका के साथ संलग्न नहीं किया जा सका। वैसे परिवादी द्वारा आयोग को उपरोक्त की जानकारी से संबंधित अपने आवेदन के साथ उपरोक्त कथित प्रत्युत्तर की छाया–प्रति संलग्न कर समर्पित की गयी है। परिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार किया है तथा उसका कथन है कि स्थानीय जन–प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उसके पिता की झोपड़ी को हटा दिया गया।

परिवादी का कथन है कि उसके पिता उक्त झोपड़ी वाले जमीन के स्वामी हैं, जो उनके द्वारा निबंधित विक्रय–विलय के माध्यम से क्रय किया गया है, लेकिन परिवादी ने अपने परिवाद–पत्र व प्रत्युत्तर में उपरोक्त कथित झोपड़ी वाले जमीन के विक्रेता के संबंध में कोई कथन/प्रमाण दाखिल नहीं किया है। यहां तक कि उसने यह भी नहीं कहा है कि उक्त जमीन उसके पिता द्वारा कब खरीदी गयी थी, जबकि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जमीन सरकारी जमीन है, जिसका समर्थन पुलिस के समक्ष परिवादी के माता–पिता ने भी पुछताछ के दौरान किया है। जहां तक परिवादी के पिता को इंदिरा आवास की राशि दिये जाने का प्रश्न है, **अंचलाधिकारी, जाले को यह निर्देश दिया जाता है कि अगर परिवादी इंदिरा आवास दिये जाने के संबंध में समस्त** शर्त्तो को पूरा करते हैं तो अंचलाधिकारी, जाले द्वारा परिवादी को इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने, हेतु, विधिनुसार, कार्रवाई किया जाय।

उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना, एवं परिवादी को सूचनार्थ तथा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजते हुए आदेश के अन्तिम पारा में उल्लेखित इन्दिरा आवास के सम्बन्ध में विधिनुसार कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी, जाले को पत्र निर्गत किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक